भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4535
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में सुधार

4535. श्रीमती डी.के.अरुणा:
श्री इटेला राजेंदर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राज्यों के परामर्श से विद्युत क्षेत्र में सुधार पर काम कर रही है और क्या वह राज्यों द्वारा विद्युत वितरण सुधारों तथा अंतर-राज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार लाएगी तथा इस सुधारों के आधार पर राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है तथा तेलंगाना सहित जिला-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार वित्तीय रूप से स्थिर और संधारणीय विद्युत क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण खंड) बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार उपायों के माध्यम से राज्यों/वितरण यूटिलिटी के प्रयासों में सहायता कर रही है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें एफसी) की सिफारिश के अनुरूप, भारत सरकार ने वित्तीय और प्रचालनात्मक सुधार उपायों को अपनाने की शर्त पर वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक चार वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण देने की स्कीम की शुरूआत की। इस स्कीम के तहत भाग लेने वाले राज्यों द्वारा किए गए प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:

i. लेखापरीक्षित वार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय लेखों का प्रकाशन।

ii. विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना (या कवर नहीं की गई हानि या ऐसे कोई अन्य प्रावधान)।

iii. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार टैरिफ सब्सिडी लेखांकन और भुगतान।

iv. वितरण यूटिलिटी द्वारा उठाए गए नुकसान के निमित्त राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का वितरण क्रमबद्ध तरीके से किया जाना।

v. टैरिफ और ट्रू-अप आदेश जारी करना।

vi. ऊर्जा लेखांकन तैयार करना और इसे विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

वितरण यूटिलिटी की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार के लिए की गई अन्य पहल:

i. **संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस):** भारत सरकार ने प्रचालनात्मक रूप से दक्ष एवं वित्तीय रूप से स्थिर वितरण क्षेत्र के माध्यम से वितरण यूटिलिटी में विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करने के लिए वर्ष 2021 में इस स्कीम की शुरूआत की। यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी यूटिलिटी को वांछित परिणामों के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। विभिन्न मापदंडों के निमित्त यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर, स्कीम के तहत निधि निर्मुक्ति की जाती है।

ii. **वर्ष 2022 में अधिसूचित विलंब भुगतान अधिभार नियम:** इन नियमों के कार्यान्वयन के बाद से, केंद्रीय क्षेत्र की यूटिलिटी की कुल पिछली बकाया राशि जून, 2022 में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये से घटकर मार्च, 2025 में लगभग 18,857 करोड़ रुपये हो गई है। वर्तमान बकाया राशि का भी आम तौर पर नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। इससे यूटिलिटी पर लगाए गए विलंब भुगतान अधिभार को कम करने में मदद मिली है।

iii. **प्रभावी सब्सिडी लेखांकन:** उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

iv. **टैरिफ युक्तिकरण और स्वचालित ईंधन लागत मूल्य संचरण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत मूल्य संचरित हों, इसलिए नियमों को अधिसूचित किया गया है।

v. लेखांकन में वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए **विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024**

vi. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

(ख) : स्कीम के सकारात्मक प्रभाव तथा निर्धारित अवधि वित्त वर्ष 2025 तक इसके पूरे होने के कारण, वित्त वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में इसे जारी रखने तथा इसके विस्तार की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। राज्यों को

अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने की स्कीम को विस्तारित किया गया है, ताकि राज्यों को विद्युत वितरण सुधारों को अपनाने तथा अंत: राज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) : इस स्कीम के तहत निधि संस्वीकृत नहीं की जाती है, परंतु भारत सरकार द्वारा जीएसडीपी के 0.5% अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति के आधार पर, राज्य अपनी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार लेते हैं।

दिनांक 24.03.2025 को स्कीम के तहत अनुमत अतिरिक्त ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**धनराशि (करोड़ रू. में)**			
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	3,716	5,858	6,709	7,986
2	असम	1,886	2,473	2,702	-
3	हिमाचल प्रदेश	251	-	-	-
4	केरल	4,060	4,263	4,866	6149
5	मणिपुर	180	-	213	-
6	मेघालय	192	-	-	-
7	ओडिशा	2,725	-	-	-
8	पंजाब	-	-	-	1976
9	राजस्थान	5,186	6,122	7,996	7,088
10	सिक्किम	191	170	156	-
11	तमिलनाडु	7,054	5,775	9,656	-
12	उत्तर प्रदेश	6,823	-	-	-
13	पश्चिम बंगाल	6,911	8,352	7,276	-
	कुल	**39,175**	**33,013**	**39,574**	**23199**

****